यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वद्यालय, नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वद्यालय, नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल) के माह 11/2009 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 12/02/2018 से 16/02/2018 तक श्री पुस्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रभाकर दुबे सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री एस0के0 डंग वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03/11/09 से 06/11/09 तक श्री एस एन सरन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2006 से 10/2009 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2009 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः स्थानीय आवश्यक्ता को देखते हुए वर्ष 2006 में राजकीय महा वद्यालय नरेन्द्र नगर की स्थापना की गई व महा वद्यालय में वर्ष 2014 में कला संकाय, स्नातक (बी0ए0) पाँच वषयों- हिन्दी अंग्रेजी, राजनीतिक वज्ञान, अर्थशास्त्र एवं इतिहास) का आरम्भ हुआ महा वद्यलय टिहरी गढ़वाल में महा वद्यालय में समुंद्र तल से 1100 मी0 की उचाई पर स्थित है यह ऋ षकेश से मात्र 15 क0मी0 की दूरी पर है तथा टिहरी से 75 क0मी0 तथा देहरादून से 60 क0मी0 की दूरी पर है।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			स्थापना **(01 ,03 ,06)**	गैर स्थापना		बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत(-)	आवंटन	व्यय	
2014-15	0.00	0.00	52.13	52.12	-	0.01	1.79	1.70	0.09
2015-16	0.00	0.00	102.19	100.24	-	1.95	4.10	3.19	0.91
2016-17	0.00	0.00	175.30	164.48	-	10.82	8.74	7.37	1.37
2017-18 (01/2018)	0.00	0.00	117.75	116.34	-	1.41	6.35	4.23	2.12

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन	व वध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	अ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	रूसा योजना	0.00	111.96	0.87	112.83	111.96	--	0.87
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18 (01/2018 तक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई यू0जी0सी0 एवं रूसा "अ" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) 1. स चव उच्च शक्षा 2. उच्च शक्षा निदेशालय 3. उच्च शक्षा निदेशक 4. प्राचार्य 5. प्रवक्ता वर्ग 6. वर्ग (ख) अ धकारी/कर्मचारी 7. वर्ग (ग) अ धकारी/कर्मचारी 8. वर्ग (घ) कर्मचारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वधालय, नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वद्यालय, नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/12, 03/16,12/2016 एवं 02/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1:- वभाग के अ ववेकपूर्ण निर्णय के कारण शासकीय रु 492.59 लाख का निष्पादित कार्य शासकीय हित मे नही पाया जाना।

कार्यालय राजकीय महा वद्यालय, नरेन्द्रनगर की ब्रह्ध निर्माण कार्य पत्रावली की जांच मे पाया गया क शासनादेश संख्या 903/XXIV(7)-12(2)/2013, दिनाक 31 मार्च 2013 द्वारा वत्तीय वर्ष 2012-13 मे राजकीय महा वद्यालय, नरेन्द्रनगर के अनवासीय भवन निर्माण कार्यो के लए रु 429.59 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अ भलेखो की जांच मे पाया गया क निर्माण एजेंसी को कार्य के निष्पादन के लए वर्ष 2013-14 मे तीन कस्तों मे रु 248.00 लाख की धनरा श भू म की अनुपलब्धता के बावजूद जारी कर दी गयी। इसी क्रम मे भू म की उपलब्धता के बाद निर्माण एजेंसी द्वारा दिसम्बर 2014- जनवरी 2015 मे कार्य प्रारम्भ कया गया। धनरा श निरंतर जारी होने की दशा मे अनुबंध के अनुसार कार्य 18 ,माह के भीतर पूरा कया जाना था तथा शर्तो के अनुरूप निर्माण एजेंसी से यू सी प्राप्त होते ही वभाग द्वारा समय से (12/2015 तक) समस्त धनरा श जारी कर दी गयी, परंतु धनरा श प्राप्त होने के लेखापरीक्षा ति थ (24 माह बीत जाने के बाद भी) तक कार्य अपूर्ण पाया गया। इस संबंध मे कार्यदायी संस्था द्वारा शेष 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लए धन की मांग की जा रही थी।

इस ओर इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क संबन्धित कार्य का आवंटन उच्चा धकारी स्तर से कया गया। अतः वलम्ब से संबन्धित लेखापरीक्षा मे उठाए गए प्रकरण से उच्च अ धकारी को इस आशय की जानकारी प्रे षत की जाएगी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया, अनुबंध इकाई तथा कार्यदायी संस्था के मध्य था अतः भू म अनुपलब्धता की स्थिति मे बिना कार्य प्रारम्भ कए रु 248.00 लाख निर्माण एजेंसी को जारी करने के संबंध मे इकाई की ओर से सजगता दिखाते हुये वभाग के संज्ञान मे लाया जाना चाहिए था। जिस कारण 01 वर्ष तक शासकीय धन स्थानीय स्तर पर असंचा लत पड़ा रहा तथा निर्माण एजेंसी को समय वृद् ध - लागत -वृद् ध के कारण कार्य मे वलंबता का अवसर प्रदान कया गया।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो ब

प्रस्तर 2:- छात्रनि ध की व भन्न मदों मे ₹ 1416037.18 की धनरा श का अप्रूयक्त रहना एवं शासनादेश के वरुद्ध ₹ 209,**049.16** की धनरा श का अनिय मत आहरण कर धनरा श का समायोजन न करना ।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत महा वद्यालयो मे छात्रनि धयों के रख रखाव एवं उपयोग संबं धत नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु महा वद्यालयो मे छात्रनि धया संचा लत कए जाने का प्रावधान कया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है एवं बिन्दु संख्या 06 के अनुसार यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुपोदरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

छात्र कल्याण नि ध नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है क The collection from students in the Niche and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi- provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वधालय, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल के छात्रनि धयों से संबन्धित अ भलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया क महा वद्यालय द्वारा भन्न-भन्न प्रयोजन हेतु समय-समय पर बिना स मति को प्रस्ताव पारित कए /प्रबन्ध स मति के अनुमोदन के बिना छात्रनि ध से आहरण निम्न ववरण के अनुसार कया, जिसमे धनरा श के आहरण का प्रयोजन व समायोजन इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ 01/2018) तक सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था,

क्रम संख्या	आहरित धनरा श (₹)	धनरा श व्यय करने का प्रयोजन/मद	कैम्पस का नाम	छात्र नि ध खाते मे समायोजन
01	77074.16	सांस्कृतिक परिषद खाता	कार्यालय. प्राचार्य राजकीय महा वधालय, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल	-

02	52902.00	अनुरक्षण खाता	कार्यालय. प्राचार्य राजकीय महा वधालय, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल	-
03	6149.00	वधुत खाता	कार्यालय. प्राचार्य राजकीय महा वधालय, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल	
04	72924.00	टेलीफ़ोन खाता	कार्यालय. प्राचार्य राजकीय महा वधालय, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल	
योग	209,049.16			

उक्त ता लका से स्पस्ट हे क छात्र नि ध खाते से शासनादेश के वपरीत ₹ 209049.16 की धनरा श आहरित की गयी, जो लेखापरीक्षा ति थ (01/2018) तक असमायोजित थी। यह भी देखा गया क वगत वर्षो मे समय-समय पर आहरित धनरा श का समायोजन 02 वर्षो से भी अ धक समय के लए ब्याज रहित असमायोजित थी, जो वत्यीय अनिय मतता को दर्शाता है।

उक्त के सम्बंध मे वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पूस्टी की एवं सम्प्रेक्षा को अवगत कराया क छात्रो की आवस्यकतानुसार ही छात्रनि ध की धनरा श व्यय की जा रही थी। इकाई का उत्तर मे मान्य नहीं हैं, क्यो क उक्त ववरण से स्पष्ट हें क महा वद्यालय द्वारा कया गया व्यय दिशानिर्देशो एवं शासनादेशों के वपरीत था।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **3:-** रूसा के दिशानिर्देश के वरुद्ध धनरा श रु 25.00 लाख का अनिय मत क्रय एवं धनरा श रु 49**,361/-** कम टीडीएस की कटौती कार्यदायी संस्था से कए जाने का प्रकरण पाया जाना।

भारत सरकार द्वारा संचा लत केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शक्षा अ भयान (रूसा) वर्ष 2003 मे प्रारम्भ कया गया। रूसा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा महा वद्यालय को प्रदान की गयी अनुदान को तीन प्रमुख मदों (component) मे कुल अनुदान का वतरण, निर्माण कार्य (35%), पुननिर्माण व उच्चीकारण (35%) एवं नई सु वधाओ (30%) अनुपात मे कया गया। शासनादेश संख्या 707(70)/रूसा /2015-16, दिनांक 22.02.2016 द्वारा महा वद्यालय को धनरा श रु 24.68 लाख प्रथम कस्त के रूप मे जारी कया गया साथ ही महा वद्यालय को निर्दे शत कया गया क रूसा के तहत व भन्न मदों के लए निर्धारित सीमायो से अ धक व्यय करने से पूर्व भारत सरकार व शासन के निर्देश तथा उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कया जाए। रूसा के अंतर्गत केवल उनही मदों पर व्यय कया जाए जो डीपीआर मे स्वीकृत की गयी है, कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबन्धित प्राचार्य का है तथा उच्च शक्षा मे गुणवत्ता संबद्धता के लए संशो धत डीपीआर मे नयी सु वधायों एवं उपकरणो हेतु महा वद्यालय मे उपलब्ध सु वधायों की अवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आई सी टी लैब, इंटीग्रेटर कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, नेटवर्क अपग्रेडेशन, मल्टी परपज प्रन्टर/ स्कैनर/ फेक्स, ई- लाइब्रेरी, शक्षण व प्र शक्षण हेतु वांछित उपकरण, स्मार्ट क्लास, ई-बोर्ड तथा अन्य आवश्यक उपकरणो व सु वधायों के लए भी रूसा के अंतर्गत निर्धारित मानको के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्वीकृति ली जाए। इसी क्रम मे पत्रांक संख्या 419/XXIV(7)/2016-50(2)/15, दिनाक 16 अगस्त 2016 द्वारा द् वतीय कस्त के रूप मे महा वद्यालय को रूसा के अंतर्गत अनुमोदित धनरा श रु 196.80 लाख के सापेक्ष धनरा श 87.28 लाख अवमुक्त की गयी जिसमे से रु 62.28 लाख निर्माण कार्य हेतु एवं 25.00 लाख नयी सु वधायों पर व्यय कए जाने की वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महा वद्यालय**,** नरेंद्र नगर**,** टिहरी गढ़वाल के रूसा परियोजना संबन्धित अ भलेखो की जांच मे पाया गया क महा वद्यालय को प्रथम कस्त हेतु रु 24.68 लाख एवं द् वतीय कस्त के रुप मे रु 87.28 लाख (रु 62.28 लाख निर्माण कार्य एवं रु 25.00 लाख नई सु वधाओ हेतु सामाग्री क्रय कए जाने हेतु) प्रदान की गयी थी। उक्त धनरा श के सापेक्ष पाया गया क महा वद्यालय द्वारा धनरा श रु 1,24,573/- टीडीएस क कटौती कए जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था को रु 85.72 लाख का भुगतान कया गया। जब क नियमानुसार कार्यदायी संस्था को भुगतान क जाने वाली कुल धनरा श रु 86,96,666/- का 2 प्रतिशत अर्थात 1,73,934/- टीडीएस क कटौती क जानी थी अतः धनरा श रु 49,361/- कम टीडीएस क कटौती कार्यदायी संस्था से क गयी। आगे संबन्धित पत्रावली की जांच करने पर

पाया गया क महा वद्यालय के पत्रांक 31/2017-18, दिनांक 10.04.2017 के माध्यम से अपर परियोजना निदेशक, रूसा उत्तराखण्ड शासन को नयी सु वधायों हेतु 59.70 लाख की डीपीआर बना उक्त शासनादेश के निर्देशानुसार प्रे षत की गयी थी जब क संबन्धित पत्रावली की जांच मे रूसा निदेशालय से डीपीआर की स्वीकृति नही प्राप्त की गयी तथा समस्त रु 25.00 लाख की धनरा श जो नई सु वधायों हेतु महा वद्यालय को प्राप्त हुई थी के सापेक्ष धनरा श रु 07.00 लाख के laboratory equipment एवं 03.00 लाख के sport सामाग्री तथा शेष धनरा श रु 15.00 लाख की पुस्तक क्रय की गयी। आगे पाया गया क महा वद्यालय द्वारा गठित क्रय स मति मे वत्त का कोई जानकार व्यक्ति शा मल नही पाया गया तथा नयी सु वधायों के तहत प्राप्त धनरा श को व भन्न वभागो मे वतरित कर समस्त सामाग्री व भन्न फार्मो से टुकड़ो मे कोटेशन के आधार पर क्रय क गयी जो क उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन प्रद र्शत करती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क त्रुटिवश चूक हुयी है भ वष्य मे पुनरावृ त्त नही क जाएगी एवं भ वष्य मे अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा तथा टीडीएस कम कटौती कए जाने संबन्धित आप त्त के संदर्भ मे इकाई ने आगामी भुगतान करते समय अवशेष टीडीएस क कटौती की जाएगी।

उत्तर मान्य नही है क्यो क उक्त शासनादेश की अनदेखी करते हुए इकाई द्वारा स्थानीय स्तर से अंतिम निर्णय लेकर सम ग्रयों का चयन तथा क्रय मनमाने ढंग से कया गया तथा टीडीएस की कटौती भी कार्यदायी संस्था से की जानी लम्बित पायी गयी।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो-(ब)</u>

प्रस्तर **4**:- छात्रों से ली गयी काशनमनी धनरा श रु 93**,688/-** का वगत वर्षो से अ क्रयशील पाया जाना एवं रु 38,152/- का अनिय मत आहरण का प्रकरण पाया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महा वद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1. यदि कोई छात्र महा वद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह रा श व्ययप्त (लेप्स) कर दी जाएगी।
2. छात्र कोषो के लए परामर्शदात्री स मति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनि धत्व 50 प्रतिशत होगा। यह स मति संबन्धित कोष के लए प्राप्त धनरा श के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग कया जाएगा।
3. छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है।
4. यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुपोदरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महा वद्यालय**,** नरेन्द्र नगर**,** टिहरी गढ़वाल के काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क संबन्धित अ भलेखो की जांच की गयी। संबन्धित अ भलेखो मे पाया गया क महा वद्यालय द्वारा वगत वर्षो मे छात्रों से ली जाने वाली प्रतिभूति स्वरूप काशनमनी की धनरा श बैंक खाता संख्या 7445000100006784 मे रु 93,688/- अंतिम-शेष वगत कई वर्षो मे छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी है, आगे पाया गया क काशनमनी खाते से भन्न-भन्न प्रयोजन हेतु समय समय पर स मति के प्रस्ताव पारित कए बिना/ प्रबंधन स मति के अनुमोदन के बिना धनरा श रु 38,152/- का अ ग्रम/आहरण कया गया, जिसका लेखापरीक्षा ति थ तक समायोजन नही कया गया। अतः उक्त धनरा श कई वर्षो से खातो मे अ क्रयाशील पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क छात्रों द्वारा काशनमनी वापसी हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही कया गया एवं छात्रों से आवेदन न होने के कारण उनको वापस नही कया गया तथा काशनमनी से व्यय कए जाने संबन्धित टिपणी पर इकाई ने उत्तर दिया क बजट उपलब्ध न होने के कारण आवश्यकता होने पर महा वद्यालय द्वारा आहरण कया जाता है।

उत्तर मान्य नही है क्यूँ क काशनमनी की रा श छात्रों की प्रतिभूति धनरा श है जिसे उक्त शासनादेश के अनुसार परामर्श स मति की स्वीकृति से व्यय कया जाना था एवं इकाई के उत्तर से स्पष्ट है क काशनमनी खाते से संबन्धित धनरा श वगत वर्षो के अ क्रयशील पड़ी हुई है तथा अनिय मत आहरण/व्यय इकाई द्वारा कया गया।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01:-** महा वधालय मे कार्यरत अ धकारी/कर्मचारी/शक्षको एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सामान्य भ वष्यनि ध खाते मे महा वधालय द्वारा निम्न अनिय मतताये बरती गई है।

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री महेश कुमार की सामान्य भ वष्यनि ध के वर्ष-2015-16 मे अ भदान व अ ग्रम की वापसी का योग- ₹ 16140.00 के स्थान पर ₹ 17090.00 की धनरा श का अंकन कया गया था इसी प्रकार उक्त वर्ष मे अ ग्रम वापसी कालम ₹ 33000/के स्थान ₹ 36000.00 का अंकन कया गया था। इस प्रकार अ भदान ₹ 950.00 एवं अ ग्रम वापसी ₹ 3000.00। कुल योग र3950.00 के पासबूक मे अ धक धनरा श का अंकन पाया गया था। ववरण निम्न' हैं,

मूल धनरा श-3950.00+ब्याज की धनरा श-344.00, कुल अ धक अंकन धनरा श-4294.00 इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक के वर्ष-2014-15 की लेखा बंदी कौलम मे ब्याज मद मे ₹ 12782.00 के स्थान पर ₹ 13391.00 का अंकन कया इस प्रकार कुल धनरा श ₹ 609.00 का अ धक ब्याज का अंकन कया गया था।

(2) श्री गो वन्द संह रजवार की वर्ष -2012-13, 2013-14,2014-15 एवं2015-16 की सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक के

जांच मे निम्न ल खत त्रुटिया पायी गयी थी, जिनका ववरण निम्न प्रकार था।

क्र0 सं0	वर्ष	इकाई द्वारा की गयी वा र्षक लेखा बंदी	सम्प्रेक्षा द्वारा जांच के अनुसार लेखा बंदी	सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे अंतर की धनरा श closing बैलेन्स मे(₹)
01	2012-13	OB-2253808.00 DEP-125688.00 INT-204473.00 WD-nill CB-2662754.00	OB-2253808.00 DEP-125688.00 INT-204473.00 WD-nill CB-2583969.00	2662754.00-2583969.00=78785.00
02	2013-14	OB-78785.00 INT-6854.00 Total CB-(-) 85639.00	(-)₹ 85639.00 की धनरा श का संसोधन इकाई स्तर पर लम्बित	
03	2014-15	आदेश संख्या-23 दिनक-03/05/14 ₹ 200000.00 का अस्थाई अ ग्रम आहरित कया परंतु उक्त अ ग्रम के सापेक्ष मात्र र 190000.00 की धनरा श की वापसी सामान्य भ वष्यनि ध पासबूक मे उक्त वर्ष मे	-	-

		दर्ज पायी गयी थी ,कारणो से इकाई द्वारा लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था।		
04	2015-16	लेखा बंदी कौलम मे ₹ 242545.00 के स्थान ₹ 250503.00 की अ धक ब्याज की धनरा श का अंकन कया गया था	इस प्रकार ₹ 7958.00 की अ धक धनरा श का संसोधन पास-बूक मे सम्प्रेक्षा ति थ तक नहीं पाया गया था ।	

इस और लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर, इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया क सम्प्रेक्षा के आदेशनुसार प्रकरण मे कार्यवाही की जाएगी, त्रुटियो के संबंध मे इकाई द्वारा कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पस्ट हे क यदि इकाई द्वारा की सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक मे व्याप्त त्रुटियो को समय से दुरुस्त कर लया होता तो अ भदाता के प्रकरण मे उक्त त्रुटिया व्याप्त नहीं होती, प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें ।

STAN

प्रस्तर **2**:- इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को ₹ 100.00 लाख की धनरा श अवमुक्त करने के बाबजूद सम्प्रेक्षा ति थ (01/2017) तक मात्र 23% भौतिक प्रगति प्राप्त करना एवं ₹ 25.57 लाख का उ पयो गता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना।

स चव उत्तराखंड शासन के पत्रांक सख्या-2377(1)/xxiv/2006-14(2)/15 दिनाक-04/03/16 को द्वारा कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वद्यालय, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल को मलटी परपज हाल के निर्माण हेतु स्वीकृत धनरा श ₹ 362.14 लाख के सापेक्ष ₹ 100.00 लाख (मात्र एक करोड़) की धनरा श अवमुक्त की गयी थी ।

आगे जांच मे पाया गया क कार्यदायी संस्था को उक्त मलटी परपज हाल का निर्माण दिनाक-12/2018 तक समाप्त करना था,परंतु कार्यदायी संस्था द्वारा एमओयू के बिन्दु संख्या - 02 का पालन न करते हुऐ सम्प्रेक्षा ति थ (01/2017) तक कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनरा श ₹ 80.93 लाखकी वतत्य प्रगति के सापेक्ष मात्र 22% भौतिक प्रगति प्राप्त की थी। उनके द्वारा इकाई को ₹ 100.00 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 74.43 लाख का उ पयो गता प्रमाणपत्र भी सम्प्रेक्षा ति थ (01/2017) तक प्रस्तुत कया गया था परन्तु ₹ 25.57 लाख की धनरा श का उ पयो गता प्रमाणपत्र सम्प्रेक्षा ति थ तक लम्बित था। कार्य समाप्ती ति थ मार्च 2018 हैं परन्तु कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्य के समय से समाप्त होने की संभावना नही हैं।

इस और लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर, इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया क निर्माण स्तर पर कार्य की धीमी प्रगति का कारण पहाड़ो को काटने मे कार्यदायी संस्था को problem हुई। लेखा परीक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्यो क कार्यदायी संस्था को धनरा श समय से इकाई द्वारा प्राप्त करा दी गयी थी कार्यदायी संस्था की स थलता के कारण निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं कया जा सका ।कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा भ वष्य मे पुनरीक्षित (REVISED) estimate प्रस्तुत करने की पूरी संभावना हैं। इससे पूर्व भी प्राचार्य राजकीय महा वद्यालय नरेन्द्रनगर टिहरी द्वारा परियोजना प्रबन्धक निर्माण निगम ल मटेड को मल्टीपरपज हाल के डी.पी.आर. संसोधन हेतु पत्र संख्या 643/2015-16 दिनांक 20/02/2016 को पत्र लखा जा चुका है।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
35/2009-10	--	1	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर सं0 लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
35/2009-10	यूनिट द्वारा आख्या अ वलम्ब महालेखाकार कार्यालय को प्रे षत करने की बात कही गयी।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेत कार्यालय प्राचार्य धर्मानन्द उनियाल राजकीय महा वद्यालय, नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये

शून्य

1. सतत् अनिय मतताएः

2. शून्य

(i)
(ii)

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अव ध
1.	डॉक्टर एन0पी0 महेस्वरी	प्राचार्य	11/2010 से 10/2012
2.	डॉक्टर जी0एस० राजवार	प्राचार्य	16/10/12 से अब तक (01/2018 तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति (कार्यालय प्राचार्य धर्मानन्द उनियाल राजकीय महा वद्यालय, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल) इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.